मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.co.in E-mail : eanugya@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा/2019–20/1301 भोपाल दिनांक 25 जनवरी 2020

प्रति,

(01) संयुक्त संचालक/उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/नर्मदापुरम (होशंगाबाद)/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/
चम्बल (मुरैना)/सागर/जबलपुर/रीवा (म0प्र0)

(02) सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
समस्त जिला समस्त (म0प्र0)

विषयः–''ई–अनुज्ञा'' कियान्वयन अंतर्गत भुगतान पत्रकों के सत्यापन संबंधी।
संदर्भः–कार्यालयीन पत्र बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1210–1211 दिनांक 14/08/2019 एवं पत्र कमांक/बी–6/नियमन/ई–अनुज्ञा/2019–20/1218–1219 दिनांक 16/08/2019।

–0–

उल्लेखित विषय में दिनांक 16/08/2019 से प्रविष्ट किये जाने वाले भुगतान पत्रकों हेतु कृषक विकेता का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर अनिवार्य रुप से प्राप्त कर भुगतान पत्रकों पर अंकित कराने के, भुगतान पत्रकों की प्रविष्टी प्रतिदिन कराने के एवं भुगतान पत्रक को मण्डी सचिव द्वारा ''ई–अनुज्ञा'' पोर्टल पर सत्यापित करने की समय सीमा 3 दिवस नियत कर इस आशय की सूचना व्यापारियों को अनिवार्य रुप से देने के निर्देश संदर्भित पत्र से दिये गये हैं।

दिनांक 16/08/2019 से दिनांक 22/01/2020 तक की अवधि में ''ई–अनुज्ञा'' पोर्टल पर दर्ज कुल भुगतान पत्रकों की समीक्षा में निम्नानुसार अंचलवार स्थिति सामने आई है :–

संभाग का नाम	कुल भुगतान पत्रक	मण्डी सचिव द्वारा सत्यापित भुगतान पत्रक	निर्धारित समय सीमा (3 दिवस) उपरांत मण्डी सचिव द्वारा सत्यापन के लिये शेष बचे भुगतान पत्रक	ऐसे भुगतान पत्रक जो सत्यापित हो गये हैं लेकिन मण्डी फीस का भुगतान नहीं हुआ है औरं जिनको भुगतान दिनांक से 14 दिन से ज्यादा हो गये हैं।
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
उज्जैन	428971	419774	3064	20483
भोपाल + नर्मदापुरम	273068	268621	2672	19268
इंदौर	199223	190823	2064	18238
जबलपुर	119634	116905	1678	10904
ग्वालियर + चंबल	113869	109385	2555	10241
सागर	76747	75880	447	3072
रीवा	26064	25647	115	775
योग –	**12,37,576**	**12,07,035**	**12,595**	**82,981**

उपरोक्त तालिका के कॉलम नंबर (04) निर्धारित समय सीमा उपरांत मण्डी सचिव द्वारा सत्यापन के लिये शेष बचे भुगतान पत्रक एवं कॉलम नंबर (05) ऐसे भुगतान पत्रक जो सत्यापित हो गये हैं लेकिन मण्डी फीस का भुगतान नहीं हुआ है और जिनको भुगतान दिनांक से 14 दिवस से ज्यादा का समय व्यतीत हो गया है की स्थिति से स्पष्ट है कि आपके अंचल की संबंधित मण्डी समितियों के सचिव के द्वारा वरिष्ठालय से दिये गये निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। साथ ही इस स्थिति के कारण मण्डी फीस अपवंचन की संभावनायें प्रबल होती हैं।

अतः ''ई–अनुज्ञा'' पोर्टल पर उपलब्ध स्वतः जनित ''भुगतान पत्रक से संबंधित रिपोर्ट'' के सरल क्रमांक 2 पर यथा उल्लेखित लिंक ''निर्धारित समय सीमा से सत्यापन के लिये शेष भुगतान पत्रक'' को क्लिक कर अपने अंचल की मण्डीवार रिपोर्ट प्राप्त की जाकर अंचल के संबंधित मण्डी सचिवों से उक्त बिन्दुओं पर समीक्षा की जाये ताकि कारणों को ज्ञात किया जा सके। कारण औचित्यपूर्ण होने की स्थिति में मुख्यालय को अवगत कराया जाये। यदि कोई कारण मण्डी प्रावधानों के विपरीत पाया जाता है तो तत्काल समाधान की कार्यवाही कराते हुये संबंधित दोषीयों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाये।

(डॉ. केदार सिंह)
अपर कलेक्टर/अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा/2019–20/1302
भोपाल दिनांक 25 जनवरी 2020

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(02) अपर संचालक (समस्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(03) श्री ए0एन0सिद्धीकी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(04) श्री मुशर्रफ सुल्तान, तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(05) संयुक्त संचालक (नियमन)/उप संचालक (वित्त/आडिट)/सहायक संचालक (नियमन), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(06) श्री रामकिशुन असाटी, कंसलटेंट (ई–अनुज्ञा), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(07) श्री मनोज सबरवाल, सहायक उपनिरीक्षक (ई–अनुज्ञा टीम, मण्डी बोर्ड मुख्यालय), द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति भोपाल जिला भोपाल।

अपर कलेक्टर/अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल